

26/10/18

दिनांक 26/9/18 को मंत्रालयिक कमचारियों की हस्ताक्षर होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। अमिमात्रक शायी उपस्थित नहीं। कई बार आवाजे लगवाए गई परन्तु शायी ऐसे उनके अमिमात्रक में से कोई उपस्थित नहीं आया। शायी के अमिमात्रक को आदेशिका दिनांक 21/6/18 के द्वारा अमिमात्रक की तलबी का स्टेप लेने के निर्देश दिये गये थे तथा दिनांक 10/8/18 को भी तलबी का स्टेप लेने के निर्देश दिये गये परन्तु अमिमात्रक शायी ने चार मोंके दिये जाने के उपरान्त भी तलबी का स्टेप नहीं लिया था।

अतः यह प्राण्य अहम दायरी महम पेशी एवं तलबी न कराने के डिफाल्ट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर नम्बर से काम की जाकर शायील दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

[~~हरफूल सिंह यादव~~]
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर